न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/51

1. विनोद आयु 27 वर्ष आत्मज ज्वारी लाल जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
2. काली बाई पत्नी ज्वारी लाल जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
3. मनोज आयु 25 वर्ष
4. अन्नू आयु 22 वर्ष
5. पल्लव आयु 18 वर्ष पिसरान श्री हेमराज जाति मीना निवासीगण ग्राम गुढावतान तहसील व जिला बून्दी ।
6. मीना पुत्री हेमराज तहसील व जिला जाति मीना निवासीगण ग्राम गुढावतान तहसील व जिला बून्दी ।
7. राममूर्ति पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी।
8. रामरतन आत्मज नन्दा आयु 46 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
9. राजेन्द्र आत्मज नन्दा जाति मीना निवासी गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
10. दुर्गा लाल आयु 40 वर्ष आत्मज नन्दा जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।
11. ज्याना
12. छीता पुत्रियॉ नन्दा मीना निवासीगण गुढा नाथावतान तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, बून्दी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी चन्दा पुत्र गोरधन निवासी गुढा नाथवतान के खातेदारी की भूमि है जो

अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । उक्त भूमि का बेचान श्री देवीलाल पुत्र किशना जाति ब्राह्मण को किया गया है विक्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और क्रेता सवर्ण जाति के सदस्य हैं इस प्रकार उक्त बेचान राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का विरूद्ध है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को कब्जे राज लिया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2011 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, बून्दी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.01.2013 को हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थिति नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 03.06.2011 को देवीलाल व चन्दा की तामील मानकर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है उस दिनांक से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी । उक्त आदेश मृतक व्यक्ति चन्दा देवीलाल के विरूद्ध पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.2011 को देवीलाल व चन्दा की तामील मानकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त दिनांक के पूर्व ही देवीलाल व चन्दा की मृत्यु हो चुकी थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक व्यक्ति देवीलाल के वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा